क्रमांक 3328866/छ.ग./2014/
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक /03/2015

—: कार्यालयीन आदेश :—

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3328866/छ.ग./2014/8025 दिनांक 20.06.2014 द्वारा सर्वश्री एम. आर. सोनी, उपअभियंता, बी.एन. उपाध्याय, उपअभियंता, एम.एल. गुलावानी, उपअभियंता एवं आर.आर. देवागंन, उपअभियंताओं को दिनांक 12 जून 2014 को माननीय सचिव, जल संसाधन विभाग के निरीक्षण के दौरान हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर के अंतर्गत ई.आर.एम. के तहत कराये जा रहे नहरों के लाईनिंग कार्यो में पाये गये गुणवत्ता विहिन कार्यो के संपादन के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूपमुख्य अभियंता, मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर के पत्र क्र.—4767 दि. 18.06.2014 द्वारा प्राप्त अनुशंसा अनुसार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित कर, इनका मुख्यालय कार्यालय अधीक्षण अभियंता, श्याम बरनई परियोजना मण्डल, अम्बिकापुर निर्धारित किया गया था।

प्रकरण में संबंधितों के द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर पर मुख्य अभियंता से प्राप्त अभिमत के परिप्रेक्ष्य में सर्वश्री एम.आर. सोनी, उपअभियंता, बी.एन. उपाध्याय, उपअभियंता, एम.एल. गुलावानी, उपअभियंता एवं आर.आर. देवागंन, उपअभियंताओं को उनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित करते हुये निलंबन से बहाल किया जाकर, अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक निम्नानुसार उनके नामों के समक्ष दर्शाये गये कार्यालयों में पदस्थ किया जाता है :—

स.क्र.	निलंबित कर्मचारी का नाम पदनाम एवं स्थान जहां सम्बद्ध किया गया है	निलंबन से बहाल उपरांत पदस्थापना का स्थान
1	2	3
1	श्री एम.आर. सोनी, उपअभियंता, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, श्याम बरनई परियोजना मण्डल, अम्बिकापुर	कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बैराज निर्माण संभाग क्र.—2, चांपा
2	श्री बी.एन. उपाध्याय, उपअभियंता, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, श्याम बरनई परियोजना मण्डल, अम्बिकापुर	कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बैराज निर्माण संभाग क्र.—2, चांपा
3	श्री एम.एल. गुलावानी, उपअभियंता, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, श्याम बरनई परियोजना मण्डल, अम्बिकापुर	कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बैराज निर्माण संभाग क्र.—2, चांपा
4	श्री आर.आर. देवागंन, उपअभियंता, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, श्याम बरनई परियोजना मण्डल, अम्बिकापुर	कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बैराज निर्माण संभाग क्र.—2, चांपा

उपरोक्त अपचारियों के विरूद्ध विभागीय जांच यथावत् प्रचलित रहेगी एवं निलंबन अवधि का निराकरण जांच प्रकरण का अंतिम निर्णय उपरांत किया जावेगा।

Sd/-
प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

•• पानी अमृत के समान है, इसे व्यर्थ होने से बचाएँ ••

पृष्ठांकन क्रमांक 3328866/छ.ग./2014/ 3199 दिनांक 12/03/2015

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन, आयाकट, कृषि, पशुपालन, मछलीपालन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, छत्तीसगढ शासन, रायपुर को सूचनार्थ एवं माननीय मंत्री जी को अवगत कराने हेतु सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. मुख्य अभियंता, मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर।
4. मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, अंबिकापुर।
5. अधीक्षण अभियंता, हसदेव परियोजना मंडल, रामपुर/कोरबा।
6. अधीक्षण अभियंता, श्याम बरनई परियोजना मण्डल, अम्बिकापुर।
7. कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर।
8. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बैराज निर्माण संभाग क्र.–2, चांपा
9. कार्यपालन अभियंता, एम.आई.एस. यूनिट, स्टेट डाटा सेन्टर, रायपुर।
10. सर्वश्री एम.आर. सोनी, उपअभियंता, बी.एन. उपाध्याय, उपअभियंता, एम.एल. गुलावानी, उपअभियंता एवं आर.आर. देवागंन, उपअभियंता द्वारा सरल क्रमांक–4।
11. मास्टर नस्ती।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

12.3.15

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

•• पानी अमृत के समान है, इसे व्यर्थ होने से बचाएँ ••